रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2018–20

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

# इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही,
कानपुर–208014

वर्ष –42 ● अंक –1 ● कानपुर 1 से 15 जनवरी 2020 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹100

# अब तो प्रतीक्षा समाप्त होनी चाहिये

- ✓ प्रपोज़लकर्ता कई घड़ों में बंट गये
- ✓ संयुक्त प्रपोज़ल के स्थान पर संयुक्त संशोधित प्रपोज़ल प्रस्तुत किया जाये
- ✓ मंत्री व प्रधानमंत्री से पत्र व्यवहार के कारण निस्तारण में बाधा
- ✓ अनावश्यक लिखापढ़ी के कारण मान्यता का प्रकरण लम्बित
- ✓ नये वर्ष में अनावश्यक लिखा पढ़ी से बचें

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति द्वारा मान्यता के लिए जारी नोटिस 28 फरवरी, 2017 द्वारा वांछित प्रपोज़लों के परीक्षणोपरान्त 9 जनवरी, 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही के अनुसार जिन बिन्दुओं पर विचार किया गया था उनके अनुसार बी0 ई0 एम0 एस0 की उपाधि, शिक्षण की गुणवत्ता व औषधि निर्माण तथा औषधि प्रयोग पर गम्भीरता से विचार किया गया था प्रपोज़ल कर्ताओं द्वारा अपना पक्ष समिति के समक्ष उपस्थिति होकर भी प्रस्तुत किया गया था इसके पश्चात अन्य पूरक प्रश्नों पर विचारोपरान्त कई बैठकों के बाद अन्तरविभागीय समिति द्वारा संयुक्त प्रपोज़ल प्रस्तुत करने की बात भी कही गयी थी इसी के साथ यह भी कहा गया कि जो भी प्रपोज़लकर्ता हैं उन सभी का उल्लेख संयुक्त प्रपोज़ल में किया जाये, इस टिप्पणी के बाद प्रपोज़लकर्ता कई घड़ों में बंट गये, इसपर अन्तरविभागीय समिति ने टिप्पणी भी की, इसके पश्चात भी पूरे देश से पुनः प्रपोज़ल भेजने का सिलसिला जारी रहा, चूंकि अन्तर विभागीय समिति द्वारा प्रपोज़ल प्राप्त करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी इसलिए अब प्रपोज़लों को प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्रेषित किये जाने लगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्राप्त प्रपोज़लों पर विचार करने के लिये अन्तरविभागीय समिति को बाध्य होना पड़ा, जिसके कारण प्रपोज़ल भेजने व प्राप्त होने का क्रम बराबर जारी रहा अन्ततोगतवा अन्तर विभागीय समिति द्वारा निश्चय किया गया कि प्रपोज़ल /संयुक्त प्रपोज़ल के स्थान पर संयुक्त संशोधित प्रपोज़ल प्रस्तुत किया जाये, संयुक्त संशोधित प्रपोज़ल पर विचार के लिए अन्तरविभागीय की अद्यतन बैठक 27 मई, 2019 को की गयी थी जिसके निर्णय अनुसार अन्तरविभागीय समिति ने प्रपोज़लकर्ताओं से जून 2017 से की गयी कार्यवाही के निष्कर्ष में मात्र दो बिन्दुओं तक वांछित सूचनायें सीमित कर दीं, इस सम्बन्ध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा 3 जुलाई, 2019 को सर्व सम्बन्धित को सूचनार्थ पत्र भी जारी कर दिया लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तर विभागीय समिति के साथ साथ सरकार के स्वास्थ्य तथा आयुषमंत्री एवं प्रधानमंत्री से लगातार पत्र व्यवहार किया जा रहा है जिसके कारण प्रकरण के निस्तारण को अन्तिम रूप नहीं दिया जा पा रहा है।

पत्र व्यवहार करने में वह संगठन/संस्थायें भी संलिप्त हैं जिन्होंने प्रपोजल प्रेषित न करने पर विचार किया था परन्तु अब वह भी सरकार से अनावश्यक पत्र व्यवहार कर रही हैं तथा अपने पत्र के उत्तर में कुछ ऐसा पाने की इच्छा रखते हैं जिससे उनका या उनके संगठन को लाभ हो इस अनावश्यक लिखापढ़ी के कारण ही मान्यता का प्रकरण लाम्बित है जबकि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति द्वारा वांछित मान्यता हेतु अतिरिक्त सूचनायें उपलब्ध न कराये जाने के कारण यह कहा जा रहा है कि अतिरिक्त सूचनायें प्राप्त न होने के कारण प्रकरण प्रतीक्षित है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी शैक्षिक शीर्ष संस्थाओं/संगठनों को चाहिये कि वह इस नये वर्ष में अनावश्यक लिखा पढ़ी से बचें जिससे मान्यता के प्रकरण को गति मिले तथा संयुक्त संशोधित प्रपोजलकर्ताओं एवं प्रपोजल कर्ताओं के दूसरे समूह को चाहिये कि वह सरकार द्वारा वांछित अतिरिक्त सूचनायें शीर्घताशीघ्र भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तर विभागीय समिति को उपलब्ध करा दें ताकि मान्यता की प्रतीक्षा समाप्त हो सके इसके साथ ही भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति को भी चाहिये कि वह यदि वांछित अतिरिक्त सूचनायें आवश्यक हों तो सशर्त जनहित में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देकर लाम्बित प्रतीक्षा को समाप्त करे।

विदित हो कि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा अपने आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2003 द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा एवं शिक्षा हेतु दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं, चिकित्सा एवं शिक्षा के स्पष्टीकरण हेतु दिनांक 5–5– 2010 को पुनः एक आदेश जारी किया जा चुका है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान एवं विकास हेतु 21 जून, 2011 को सभी राज्य सरकारों सहित केन्द्र शासित प्रदेशों को उपरोक्त उल्लेखित आदेशों के अनुपालन हेतु निर्देश जारी किये गये हैं जिसकी पुष्टि हेतु दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को पत्र जारी कर यह सूचित किया गया है कि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा जारी आदेश 21 जून, 2011 आज भी प्रभावी है।

ऐसी स्थिति में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति द्वारा सशर्त मान्यता की अनुशंसा कर सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों की बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त करायें।

## पुलिस अधीक्षक को किया गया सम्मानित

*बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा सम्बद्ध माँ सरजू देवी इलेक्ट्रो होम्यापैथिक मेडिकल इन्सटीटयूट, लखीमपुर खीरी की प्रबन्धिका श्रीमती संजीता शर्मा एवं प्राचार्य डा0 राकेश कुमार शर्मा, लखीमपुर खीरी की पुलिस अधीक्षक श्रीमती पुनम को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करते हुये।*

लखीमपुर खीरी की पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूनम को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुये श्रीमती संजीता शर्मा व प्रधानाचार्य डा0 राकेश शर्मा – छाया गज़ट

# प्रतीक्षा

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति द्वारा मान्यता के लिए दावेदारों से प्रपोज़ल मांगे गये थे सरकार की सूचना के अनुसार बड़ी संख्या में प्रपोज़ल प्रेषित किये गये जिनपर सरकार द्वारा विचार किया गया, कई बैठकों के बाद अन्तरविभागीय समिति द्वारा प्रस्तावकर्ताओं से अतिरिक्त सूचनाओं की मांग की गयी जो अभी तक प्रतीक्षित है अर्थात प्रपोज़लकर्ताओं द्वारा सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी जा सकी हैं।

इसे विडम्बना ही कहेंगे कि जब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं द्वारा सरकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की मान्यता की मांग की जा रही थी तब सरकार द्वारा जांच व परीक्षण के नाम पर उसे लम्बा खींचा जा रहा था अब सरकार जब मान्यता के लिए अतिरिक्त सूचनायें मांग रही है तो प्रपोज़लकर्ताओं द्वारा चुप्पी साध ली गयी है जिसके कारण सरकार द्वारा मान्यता की सूचना मांगे जाने वालों को स्पष्ट रूप से यह लिखा जा रहा है कि सरकार द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति द्वारा जिन संगठनों के प्रपोज़लों पर विचार किया गया है उनके द्वारा अतिरिक्त सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं जिसके कारण प्रकरण प्रतीक्षित है अब यह प्रकरण कितने दिन और प्रतीक्षित रखा जायेगा इसके बारे में तो सरकार ही जान सकती है लेकिन सरकार के इस प्रकार के पत्र जारी करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी संगठनों के प्रपोज़लकर्ता यही उचित समझते हैं कि प्रकरण को प्रतीक्षित ही रखा जाये।

विदित हो कि 28 फरवरी, 2017 को जब से भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता हेतु नोटिस जारी किया गया था देश की अनेकों शीर्षस्थ संस्थाओं ने इस प्रयोग में भाग न लेने का मन बनाया था, अन्तरविभागीय समिति की कार्यवाही ज्यों-ज्यों बढ़ी त्यो त्यों इनका मन विचलित होने लगा इन्हें ऐसा आभास हो रहा था कि कहीं प्रपोज़लकर्ताओं को एकाधिकार प्राप्त न हो जाये, पहले तो इन संगठनों ने प्रपोज़लकर्ताओं से तालमेल स्थापित किया और उनके साथ ऐन केन अपने नामों को सम्मिलित कराया, अन्तरविभागीय समिति ने जब इन अतिरिक्त सम्मिलित नामों के सम्बन्ध में प्रपोज़लकर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगा कि यह नाम कैसे सम्मिलित हो गये हैं क्योंकि मूल प्रपोज़लों में इनका कोई स्थान नहीं है तो इन संगठनों ने अन्य रास्तों का प्रयोग किया और विधिक रूप से अपने आप को प्रपोज़लकर्ताओं के साथ अधिकारिक रूप से सम्मिलित कराया और अपनी बात अन्तरविभागीय समिति के समक्ष रखी चूंकि इन संगठनों को पूर्व प्रपोज़लकर्ताओं के साथ ही पूरक के रूप में सम्मिलित किया गया था इसलिए इनका पृथक अस्तित्व स्थापित नहीं हो पाया।

कुछ संगठनों ने इस हश्र को देखते हुए जो अपने आपको राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कहलाते हैं एक बार उन्होंने भी अन्तरविभागीय समिति के समक्ष अपनी याचनायें प्रस्तुत कीं जिसे बड़ी खूबसूरती से सरकार ने यह सन्देश दिया कि पूर्व में समिति के समक्ष जो संयुक्त प्रपोज़लकर्ता हैं उनके माध्यम से ही आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं ऐसे संगठनों को संयुक्त संशोधित प्रपोज़लकर्ता के अगुवाकार का नाम और पता भी सुझा दिया, अब यह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कहलाये जाने वाले संगठनों को उनके पीछे खड़ा करा दिया।

अन्तरविभागयी समिति की कई चक्रों की बैठकों के बाद इन संगठनों को न जानें क्या समझ में आने लगा जिससे वह भी अन्तरविभागीय समिति के समक्ष अपनी याचनायें लेकर पहुंचे और संयुक्त संशोधित प्रपोज़लकर्ता जो इनसे बहुत कनिष्ठ हैं इनके पीछे लग गये और अपने स्तर को स्वतः न्यून कर लिया इसी मध्य अन्तरविभागीय समिति ने संयुक्त प्रपोज़लकर्ताओं की शक्ति का अन्दाज़ा लगाते हुए निर्धारित अनिवार्य एवं एच्छिक मापदण्डों को सीमित करते हुए मात्र शैक्षिक संस्थाओं एवं औषधि निर्माण की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया।

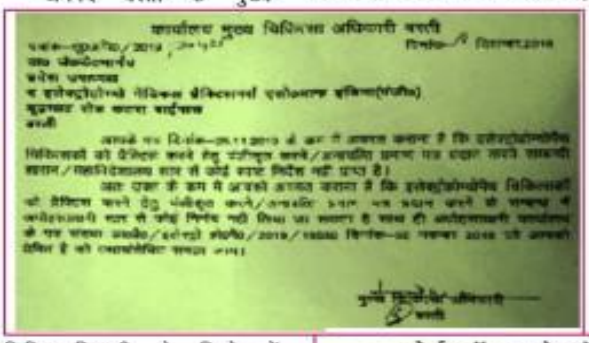

संयुक्त संशोधित प्रपोज़लकर्ता वांछित इस अतिरिक्त जानकारी को उपलब्ध कराने में विलम्ब क्यों कर रहे हैं यह तो वही जान सकते हैं लेकिन सरकार द्वारा यह बराबर कहा जा रहा है कि अतिरिक्त जानकारी प्राप्त न होने के कारण मान्यता का प्रकरण प्रतीक्षित है।

# जब C.M.O. ने अपने ही आदेश को किया संशोधित

जनपद बस्ती के मुख्य



कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती

चिकित्साधिकारी ने जिले में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सकों को सूचित किया है कि उनके द्वारा प्रैक्टिस करने के सम्बन्ध में शासन स्तर से कोई स्पष्ट आदेश/निर्देश उन्हें प्राप्त नहीं हुये हैं यदि वे इलेक्ट्रो होम्योपैथी से प्रैक्टिस करते हुये पाये जाते हैं तो उन्हें झोलाछाप मानते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने अवगत कराते हुये बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 04 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी किया जा चुका है जिसमे स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा एवं शिक्षा पर कोई रोक



कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती

नहीं है, इस शासनादेश की प्रति अन्य के साथ प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को भी पृष्ठांकित है, इस शासनादेश के क्रियान्वयन हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा भी क्रमशः 02 सितम्बर, 2013 एवं 14 मार्च, 2016 को प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/अपर निदेशकों को शासन द्वारा जारी आदेश के परिचालन हेतु निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं।

रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने पर मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती ने अपने पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 के माध्यम से सूचित किया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सकों को प्रैक्टिस करने हेतु पंजीकृत करने/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में उनके स्तर से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है साथ ही उनके कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 30 नवम्बर, 2019 को जो पत्र प्रेषित किये गये हैं को यथासंशोधित समझा जाये, विदित हो कि मुख्य चिकित्साधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को न तो झोलाछाप लिखा है और न ही उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की बात कही है,



बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिये यह संतोष की बात है या ऐसा समझा जाये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती ने अलिखित स्वीकृति प्रदान कर दी है, यह उपलब्धि मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान से सम्मानित व वरिष्ठ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डा0 अनिल श्रीवास्तव के प्रयासों से हुयी है, डा0 श्रीवास्तव बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती को पत्र लिखने के पश्चात निरन्तर मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती के सम्पर्क में रहे तथा कई चक्रों की वार्ता के बाद उनसे यह संशोधित पत्र जारी कराने में सफल रहे।

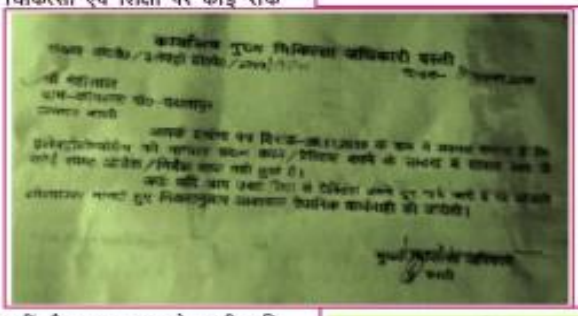

डा0 अनिल श्रीवास्तव द्वारा किये गये प्रयासों से जो संशोधित पत्र जारी हुआ है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती के कार्यालय द्वारा इस प्रकार के पत्र बड़ी संख्या में चिकित्सकों को जारी किये गये हैं क्योंकि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को जिस पत्र



की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया था जारी पत्र उससे भिन्न है।

# शहीद पन्नालाल शर्मा के स्मृति दिवस पर वार्षिकोत्सव सम्पन्न

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से सम्बद्ध माँ सरजू देवी इलेक्ट्रो होम्यापैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट लखीमपुर खीरी में शहीद पन्ना लाल शर्मा के स्मृति दिवस पर वार्षिकोत्सव सम्पन्न हुआ, कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती निरूपमा बाजपेयी जी ने कहा कि समाज में सरल व सस्ती चिकित्सा के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दवायें अति आवश्यक हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक बढ़ चढ़ कर इसका प्रचार प्रसार करें एवं समाज हित में काम करें उन्होंने कहा कि आज ज़रूरत है अच्छे संस्कारों की बिगड़ते संस्कारों के कारण ही बीमारियां बढ़ रही हैं चाहे वह शरीर में हो या फिर समाज में।

कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम प्रकाश मिश्र ने संस्था की रूप रेखा बतायी डा0 गोपाल कृष्ण पाण्डेय ने अपना वकतव्य देते हुए बताया कि हमारा इन्सटीट्यूट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा संचालित है जो प्रैक्टिस के लिए वैध है छात्र निर्भीक होकर क्लीनिक खोल रहे हैं, पत्रकार एन0 के0 मिश्रा ने चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ती मंहगाई पर प्रकाश डालते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं की प्रशंसा की, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डा0 वाई0 बी0 चन्द ने छात्र चिकित्सकों को अपना आर्शीवाद दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 आर0 पी0 एस0 चौहान ने छात्र चिकित्सकों को अधिक परिश्रम व लगन से कार्य करने के लिए प्रेरित किया, संस्था के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सिंह ने संस्था की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा संस्था की प्रबन्धिका श्रीमती संजीता शर्मा ने जनपद में लगाये गये निःशुल्क चिकित्सा शिविरों में सम्मिलित छात्रों को सम्मानित कराया, शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर डा0 वाई0 बी0 चन्द, रमेशचन्द मिश्रा, ओम प्रकाश शर्मा, रामनरेश मिश्रा, गोविन्द भास्कर, डा0 कुमुद सक्सेना, आशू मिश्रा सहित नगर के गणमान्य कई नागरिकों को सम्मानित किया गया इस अवसर पर डा0 अमित विश्वकर्मा, डा0 मंजीत कल्पना, प्रियंका पाण्डेय, दीपिका सिंह, पूर्व ए0 बी0 एस0 ए0 केशव राम मिश्रा, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर घनश्याम शर्मा, रामकुमार आर्य, ओमदीन, डा0 डी0वी0वर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे कार्यक्रम का संचालन इन्सटीट्यूट के प्राचार्य डा0 राकेश शर्मा ने किया।



वरिष्ठ पत्रकार श्री एन0 के मिश्रा डा0 आर0 पी0 एस0 चौहान पूर्व C.M.O. को सम्मानित करते हुये–छाया गज़ट




मंच से सम्बोधित करते हुये श्रीमती निरुपमा बाजपेई अध्यक्ष नगर पालिका परिषद लखीमपुर – छाया गज़ट



मंच पर बाएं से दाएं श्रीमती संजीता शर्मा, डा0 कुमुद सक्सेना, श्रीमती निरुपमा बाजपेई, पत्रकार एन0 के0 मिश्रा, आशू मिश्रा, गोपाल कृष्ण पाण्डेय, विनय सिंह डा0 आर0 के0 शर्मा – छाया गजट



माँ सरजू देवी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट लखीमपुर के छात्र चिकित्सक– छाया गजट

## JANUARY 2020

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

## FEBRUARY 2020

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

## MARCH 2020

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |

## APRIL 2019

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |

## MAY 2020

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Dr. Count Ceasure Mattei 11th January, 1809

## JUNE 2020

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |

## JULY 2020

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

## AUGUST 2020

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

## SEPTEMBER 2020

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |

## OCTOBER 2020

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

## NOVEMBER 2020

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |

## DECEMBER 2020

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

# Un forgettable dates

*04 January* → *Adhikar Diwas*

*11 January* → *Mattei Diwas*

*24 April* → *Board's Foundation Day*

*21 June* → *Vijay Diwas*

*25 July* → *EHMAI Foundation Day*

*04 September* → *Mattei Nirwan Diwas*

*30 November* → *Prerna Diwas*

(Dr. N.L. Sinha Jayanti)